(7)

संख्या---सा-3-1340, दस-88-916-88

प्रेषक,

श्री बी0 के0 सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 19 अगस्त, 1988

विषय :-विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों को मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता को अधिक उदार बनाया जाना ।

महोदय,

वित (सामान्य) अनुभाग-3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते हुए विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत विशेष लाभ दिये जाने की व्यवस्था की गई है । समय की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों एवं विकास की गति के साथ विशेष जोखिम के कार्यों का क्षेत्र काफी बढ़ गया है और इसके साथ ही ऐसी घटनाओं में भी वृद्धि हुई है । उदाहरण स्वरूप विशेष जोखिम की निम्नलिखित परिस्थितियां हो सकती हैं:---

(1) डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़,
(2) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष,
(3) आतंकवादी तत्वों से मुठभेड़,
(4) हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करना अथवा तितर-बितर करते समय,
(5) दैवी आपदाओं जैसे बाढ़, भू-स्खलन, हिमस्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते हुए तथा अन्य आपातकाल यथा आग बुझाते समय अथवा जीवन रक्षा करते समय ।
(6) सक्रिय सेवा करते समय, उदाहरणतः---

(i) ट्रैफ़िक नियंत्रण करते समय किसी गाड़ी की चपेट में आने की स्थिति में,
(ii) मोटर गाड़ी चलाते समय वर्षाकाल में पहिया फ़िसलने के कारण चालक की मृत्यु,
(iii) लेविल क्रासिंग पर बिना रोशनी की रेलगाड़ी से टकराने के कारण मृत्यु,
(iv) प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षार्थी की चूक से गोली/ग्रिनेड चल जाने से प्रशिक्षार्थी की मृत्यु ।

2---उपर्युक्त परिस्थितियों में सरकारी सेवकों द्वारा पूरी लगन और तत्परता के साथ सरकारी कार्यों का सम्पादन किये जाने तथा विशेष जोखिम भरे कार्यों से निपटने में सरकारी सेवकों का मनोबल बनाये रखने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली में विशेष जोखिम के कार्यों के लिये उपलब्ध वर्तमान लाभों तथा तात्कालिक आर्थिक सहायता में समुचित वृद्धि किये जाने के लिये निम्नलिखित स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:---

(1) कर्तव्य पालन के दौरान जो अधिकारी/कर्मचारी विशेष जोखिम की परिस्थितियों में गम्भीर रूप से घायल हो जाने के कारण सेवा में बनाये रखने के योग्य न रह जाये और अन्य किसी कार्य को करने में भी सक्षम न रहे तो ऐसे 100 प्रतिशत अक्षम हो गये घायल सेवकों को भी वही पेंशन दी जायगी जो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के नियम 10 के अन्तर्गत विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु होने की दशा में अनुमन्य होती है । 100 प्रतिशत अक्षमता के लिये मेडिकल बोर्ड की संस्तुति/प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा ।

(2) सरकारी सेवकों को विशेष जोखिम के फ़लस्वरूप मृत्यु पर उनके परिवारों को उपर्युक्त नियमावली के नियम 10 के शेड्यूल III-ए के अन्तर्गत तात्कालिक एवं दीर्घकालीन राहत के रूप में अनुमन्य उपादान (ग्रेच्युटी) के अतिरिक्त वर्ग 1, 2, 3 एवं 4 के कर्मचारियों के लिये क्रमशः 50,000 रु0, 40,000 रु0, 30,000 एवं 20,000 अनुग्रह धनराशि के रूप में दिया जायगा । इस प्रकार ग्रेच्युटी एवं अनुग्रह धनराशि को मिलाकर न्यूनतम रु0 41,000 व अधिकतम रु0 1,05,000 मृतक के परिवार को अनुमन्य हो जायगा ।

श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुग्रह धनराशि के भुगतान करने के लिये विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया जाता है तथा श्रेणी 1 व 2 के अधिकारियों के सम्बन्ध में शासन के प्रशासकीय विभागों को प्राधिकृत किया जाता है।

(3) कर्तव्य पालन के दौरान जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। अभी केवल पुलिसजनों के लिये गृह (पुलिस) अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-4805 पी/ग्र/आठ-6-1739/77, दिनांक 5 दिसम्बर, 1977 में रु0 2500 की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। अब उक्त शासनादेश की व्यवस्था का अतिक्रमण करते हुए कर्तव्य-पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल हुए समस्त विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों को रु0 5,000 (पांच हजार) की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी जिसे भुगतान करने का अधिकार प्रशासकीय विभागों को होगा, किन्तु जो प्रशासकीय विभाग उचित समझे बिना वित्त विभागों की सहमति के यह अधिकार अपने विभागाध्यक्षों को दे सकते हैं परन्तु इसकी सूचना उन्हें वित्त (सामान्य) अनुभाग-3/संबंधित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग को भी देनी होगी।

3--उपर्युक्त सुविधायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से देय होंगी।

4--उक्त मद संख्या 2(2) व 2(3) में स्वीकृत सुविधाओं के लिये आवश्यक प्राविधान संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने आय-व्ययक में करायेंगे। मद संख्या 2(1) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के संगत प्राविधान उपरोक्तानुसार संशोधित माने जायेंगे तथा औपचारिक संशोधन यथासमय अलग से जारी किये जायेंगे।

भवदीय,
वी0 के0 सक्सेना,
प्रमुख सचिव।

संख्या--सा-3-1340(1)/दस-88-916-88

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1--प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2--सचिवालय के समस्त अनुभाग।

3--विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।

4--गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या 4/2/23/88-सी0(एक्स)1, दिनांक 3 अगस्त, 1988 के संदर्भ में।

आज्ञा से,
गणेश दत्त दीक्षित,
उप सचिव।

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 10 सा0 भाषा--7-9-88-(1439)--1988-10,000 (मैग0)।